न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट) बांसवाड़ा (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी – अभिषेक गोयल, RAS

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बांसवाड़ा
प्रकरण संख्या : 68/2023
रजिस्ट्रेशन नं. :2023/78

राजस्थान राज्य जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बॉसवाडा (राज)

बनाम

अभियुक्त :–

1. श्री हुसैन अली पुत्र श्री असगर अली निवासी मुस्लिम कॉलोनी, बांसवाडा जिला बांसवाडा (विक्रेता/मालिक) मैसर्स अलबद्री डिपार्टमेन्ट स्टोर, गरीब नवाज लॉज के सामने, मुस्लिम कॉलोनी, बांसवाडा जिला बांसवाडा मो. न. 9928743945
2. श्री नितीन कुमार जैन पुत्र श्री मनोहरलाल जैन निवासी 3/200 खांदु कॉलोनी, बांसवाडा (मालिक) मैसर्स चेतक ट्रेडिंग कम्पनी, 3/200 खांदु कॉलोनी, बांसवाडा मो. न. 9829310763
3. मैसर्स श्री शाश्वत मार्केटिंग, टी 351, तीसरी मंजिल, वैभवलक्ष्मी मार्केट, घी कांटा, अहमदाबाद गुजरात – 380001

अपराध अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, नियम 2011

निर्णय

दिनांक 26–02–2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि **श्री शशिकांत शर्मा** खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बॉसवाडा (राज.) के द्वारा दिनांक **06–10–2023** को यह प्रकरण इस आशय का पेश किया गया कि दिनांक **10–10–2022** को 2.30 पी.एम. बजे बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थो की जाँच हेतु **मैसर्स अलबद्री डिपार्टमेन्ट स्टोर, गरीब नवाज लॉज के सामने, मुस्लिम कॉलोनी, बांसवाडा जिला बांसवाडा** पर पहुंचा। इस समय संस्थान पर **श्री हुसैन अली पुत्र श्री असगर अली** उपस्थित थे। **विक्रेता एवं गवाहान् की उपस्थिति में मैसर्स अलबद्री डिप[illegible]र, गरीब नवाज लॉज के सामने, मुस्लिम कॉलोनी, बांसवाडा** का निर[illegible] **घी (शाश्वत) 500 एम.एल के 11 जार विक्रय हेतु रखे थे। उक्त घी (शाश्वत)** में ग[illegible]त्ता की कमी/ मिस[illegible]का शक होने पर विक्रेता को गवाहान की उपस्थिति में फार्म नं.5ए पर सूचना देते हुए **घी (शाश्वत)**

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Goyal
Date: 2024.04.03 15:37:50 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति. जिला मजिस्ट्रेट)
बांसवाड़ा (राज.)

के 4 जार प्रत्येक में 500 एम.एल वास्ते नमुना जॉच हेतु खरीदा तथा इनकी कीमत 520/– रु. विक्रेता को चुका कर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। नमुना जॉच हेतु खरीदशुदा **घी (शाश्वत) के 4 जार प्रत्येक में 500 एम.एल के चार नमूना भाग तैयार कर प्रत्येक भाग** पर तैयार किये गये लेबल, जिस पर डी.ओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बॉसवाडा का कोड क्रमांक **W-1208** प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया गया। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाये। सील बंद नमूनो पर गवाहो के हस्ताक्षर कराकर नमूने का सम्पूर्ण विवरण लिखकर हस्ताक्षर कर चारो नमूना भागो को अपने कब्जे में लिया। एक नमूना मय फार्म न. 6 की एक प्रति आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर, दो फार्म न. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफा में बन्द कर, चपडी से सील मोहर कर दो सीलबन्द नमूना तथा शेष नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं. 6 की प्रतिया आउटर कवर में चपडी से सील बन्द कर, सील मोहर कर अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा एवं खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा को जमा करवाया।

अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2022/364 दिनांक 17–11–2022 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 840 दिनांक 18–10–2022 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया **घी (शाश्वत)** का नमुना कोड क्रमांक **W-1208** Misbranded food under section 3(1)(zf) of food safety and standerds act 2006 पाया गया। फर्म संबंधित सूचना चाहने हेतु पत्र लिखे जाने पर जवाब में फर्मो द्वारा अग्रीम माल खरीद बिल प्रस्तुत किया। जिसके आधार पर मैसर्स मैसर्स चेतक ट्रेडिंग कम्पनी, 3/200 खांदु कॉलोनी, बांसवाडा व श्री शाश्वत मार्केटिंग, टी 351, तीसरी मंजिल, वैभवलक्ष्मी मार्केट, घी कांटा, अहमदाबाद को पक्षकार बनाया गया है। विक्रेता द्वारा **घी (शाश्वत)** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम [illegible] धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा [illegible] अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित करने निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Goyal
Date: 2024.04.03 15:37:50 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण दिनांक 06–10–2023 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर आरोपी को जरिये समन तलब किया गया। दिनांक 20.11.2023 को अप्रार्थी सं. 1 व 2 की ओर से श्री हैमेन्द्र

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति. जिला कलक्टर)
बांसवाडा (राज.)

कुमार जैन अधिवक्ता का अभिभाषक पत्र प्रस्तुत हुआ। दिनांक 13.02.2024 को अप्रार्थी सं. 3 की ओर से श्री हैमेन्द्र कुमार जैन अधिवक्ता का अभिभाषक पत्र प्रस्तुत हुआ।

दिनांक 13–02–2024 को अप्रार्थी सं. 1 व 2 ने अधिवक्ता के साथ तथा अप्रार्थी सं. 3 की ओर से उनके अधिवक्ता ने उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत अपना अपराध स्वीकार कर निवेदन किया कि न्यायालय जो भी जुर्माना करे, वह स्वीकार है।

अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए / 2022 / 364 दिनांक 17–11–2022 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 840 दिनांक 18–10–2022 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया **घी (शाश्वत)** का नमुना कोड क्रमांक **W-1208** Misbranded food under section 3(1)(zf) of food safety and standerds act 2006 पाया गया है। प्रकरण में अभियुक्तगणो द्वारा स्वयं अपराध स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में अब किसी अन्य साक्ष्य की आवश्यकता प्रतित नही होती हैं। इस कारण प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया जाना हम उचित समझते है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(zf) के तहत मिसब्राण्डेड पाया गया **घी (शाश्वत)** को विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन होना पाया गया। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम–2006 व नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है। अतः आरोपी को दोष सिद्ध घोषित किया जाकर अप्रार्थी **श्री हुसैन अली पुत्र श्री असगर अली निवासी मुस्लिम कॉलोनी, बांसवाडा जिला बांसवाडा (विक्रेता / मालिक) मैसर्स अलबद्री डिपार्टमेन्ट स्टोर, गरीब नवाज लॉज के सामने, मुस्लिम कॉलोनी, बांसवाडा जिला बांसवाडा को रूपये . 2500 / – (अक्षरे दो हजार पाँच सौ रुपया मात्र), श्री नितीन कुमार जैन पुत्र श्री मनोहरलाल जैन निवासी 3 / 200 खांदु कॉलोनी, बांसवाडा (मालिक) मैसर्स चेतक ट्रेडिंग कम्पनी, 3 / 200 खांदु कॉलोनी, बांसवाडा को रूपये 5000[illegible] पाँच हजार रुपया मात्र), मैसर्स श्री शाश्वत मार्केटिंग, टी 351, [illegible] घी कांटा, अहमदाबाद गुजरात को रूपये 25000 / – (अक्षरे पच्चीस हजार [illegible]या मात्र) से दण्डित कर** खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के 3.1.2 के बिन्दू संख्या 3 में उल्लेखित आय मद 0210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800–अन्य प्राप्तियां, (03)–खाद्य सुरक्षा कानून के

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Goyal
Date: 2024.04.03 15:37:50 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति. जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

अन्तर्गत अनुज्ञा–पत्र शुल्क आदि में उक्त जुर्माना राशि तीन दिवस में राजकोष में जमा कराकर चालान की प्रति इस न्यायालय में पेश करने आदेश जारी किये।

निर्णय आज दिनांक 26--02--2024 खुले न्यायालय सुनाया गया।

(अभिषेक गोयल)
न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति0 जिला मजिस्ट्रेट)
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Abhishek Goyal
Date: 2024.04.03 15:37:50 IST
Reason: SelfAttested